



Neutral Citation No.- 2026:AHC:2265

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44141 वर्ष 2025

राजेंद्र सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राकेश कुमार गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, जय सिंह यादव

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार गुप्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री बृज राज सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री जय सिंह यादव के साथ-साथ सुश्री इफरा इस्लाम, राज्य विधि अधिकारी को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. यह आवेदक की ओर से 2017 के मामले अपराध संख्या-0234 में भ०द०वि० की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 34 थाना-खेकड़ा, ज़िला: बागपत, के तहत ज़मानत की मांग करने वाली पांचवीं ज़मानत याचिका है, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।
4. आवेदक की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ज़मानत याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-2019, 2023 के 256538, 2023 के 25653, 2025 के 3654, 2025 और 31.7.2025 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का मामला सह-आरोपी व्यक्तियों के बराबर है और पांच सह-आरोपी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार है।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक 10.07.2017 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता और राज्य विधि अधिकारी के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक को जमानत देने का कोई नया आधार नहीं है। मामले को अंतिम बहस के लिए तय किया गया है और आवेदक के अधिवक्ता के कहने पर इसे नियमित रूप से स्थगित किया जा रहा है। अधिवक्ता मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा स्थानांतरण आवेदन भी दायर किया गया है, जिसके कारण देरी हुई। देरी के लिए अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, यहां तक कि स्थानांतरण आवेदन को भी संबंधित अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने एसपी सीबीआई के माध्यम से सुनील कुमार सिन्हा बनाम बिहार राज्य (1998) 5 एस.सी.सी. 60 में पारित उच्चतम न्यायालय के फैसले पर बहुत भरोसा किया है, जिसके तहत अपीलकर्ता को कैद की अवधि एक वर्ष दस महीने होने के आधार पर जमानत दी गई थी।

9. खंडन में, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि उक्त आदेश बिहार चारा घोटाले से संबंधित है और यहां आवेदक के मामले पर लागू नहीं हो सकता है।

10. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषसिद्धि हो सकती है या आरोपी बरी हो सकती है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को जमानत देने का कोई नया आधार नहीं है, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता।



12. तदनुसार, पांचवीं ज़मानत याचिका **खारिज** की जाती है।

13. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 5, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)